कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसंभ / 2020–21 / 4861 दिनांक 09/09/2021

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी(एफसीए)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.99 ha. of forest land in favour public Department Sikandra Dausa Rajasthan for "Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– आपका ईडीएस दिनांकः–29.06.2021, उप वन संरक्षक करौली का पत्र कमांक 5198 दिनांक 31.08.2021 एवं मीटिंग दिनांक 07.09.2021 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति उप वन संरक्षक करौली द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2021 (प्रति संलग्न) से निम्नानुसार की हैः–

1. आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम की मांग हेतु आपके निर्देशानुसार मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को इस कार्यालय के पत्र कमांक 4849 दिनांक 09.09.2021 द्वारा लिखा गया है। (प्रति संलग्न)
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1705 दिनांक 23.03.2021 एवं उप वन संरक्षक करौली का पृष्ठांकित प्रति कमांक 1648–50 दिनांक 17.03.2021 की प्रति संलग्न है।
3. इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है।
4. उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का कार्यालय उप वन संरक्षक करौली में उपलब्ध रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है।
5. उक्त प्रस्ताव में डीम्ड फोरेस्ट सम्मिलित नहीं की गई है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. सी. आर. मीना)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसंभ / 2020–21 / 4849 दिनांक 09/09/2021

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.99 ha. of forest land in favour public Department Sikandra Dausa Rajasthan for "Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर का ईडीएस दिनांक 29.06.2021, उप वन संरक्षक करौली का पत्र कमांक 5198 दिनांक 31.08.2021 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग दिनांक 07.09.2021 के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के कम में निवेदन है कि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर का ईडीएस दिनांक 29.06.2021 द्वारा आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगाये गये आक्षेप संख्या 01. "CA scheme should be proposed at one division as only 100 plants are to be planted. CA scheme should be given rational and site specific.:" के कम में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आप अपने अधीन वन मण्डल दौसा से आलौच्च प्रत्यावर्तन प्रकरण में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम की मांग की कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. सी. आर. मीना)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसंभ / 2020–21 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर को उनके ईडीएस दिनांक 29.06.2021 एवं मीटिंग दिनांक 07.09.2021 में लिये गये निर्णय के कम में।
2. उप वन संरक्षक करौली को दी जाकर लेख है कि आप द्वारा proposed CA scheme को Withdraw कर उच्च कार्यालय को सूचित करें।
3. उप वन संरक्षक दौसा।

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसंभ / 2020–21 /

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.99 ha. of forest land in favour public Department Sikandra Dausa Rajasthan for "Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर का ईडीएस दिनांक 29.06.2021, उप वन संरक्षक करौली का पत्र कमांक 5198 दिनांक 31.08.2021 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग दिनांक 07.09.2021 के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के कम में निवेदन है कि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर का ईडीएस दिनांक 29.06.2021 द्वारा आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगाये गये आक्षेप संख्या 01. "CA scheme should be proposed at one division as only 100 plants are to be planted. CA scheme should be given rational and site specific.:" के कम में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आप अपने अधीन वन मण्डल दौसा से आलौच्च प्रत्यावर्तन प्रकरण में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम की मांग की कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय
sd/-
(डॉ. सी. आर. मीना)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए / मुवसंभ / 2020–21 / 4850–52 दिनांक 09/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर को उनके ईडीएस दिनांक 29.06.2021 एवं मीटिंग दिनांक 07.09.2021 में लिये गये निर्णय के कम में।
2. उप वन संरक्षक करौली को दी जाकर लेख है कि आप द्वारा proposed CA scheme को Withdraw कर उच्च कार्यालय को सूचित करें।
3. उप वन संरक्षक दौसा।

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(पचका की चौकी, करौली–322241,फोन न0 07464–297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए / उवसं / 2020–21 / 1647 दिनांक 17/3/21

निमित्त

मुख्य वन संरक्षक

भरतपुर।

विषयः– Diversion of 0.99 ha. Of forest land in favour Public Work Department, Sikandra Dausa Rajasthan for"Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– आप द्वारा ऑनलाइन जारी EDS दिनांक 10.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक Letter No.F 14 ()2016/FCA/PCCF/CCF EDS-1 Dated 07-08-2018 से उदयपुरा से टोडाभीम बाईपास सड़क निर्माण के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे आ रही भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में जारी EDS का बिन्दुवार जवाब तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेपों का जवाब
1.	मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट–III में 0.99 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है0 वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट–III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2.	उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट–II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है।	उक्त आक्षेप की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से कर दी गई है।
3.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तन वन भूमि का दुगना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गई है। प्रस्ताव 1 है0 से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नहीं किये गये है। एवं जी0टी0शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गई है।	उक्त आक्षेप मे इस कार्यालय से सम्बन्धित तथ्य की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से कर दी गई है।
4.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	उक्त आक्षेप के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से चौकी निर्माण हेतु मांग की गई राशि को संशोधित करते हुए अतिक्रमण रोकने हेतु 2200 र. मी. दीवार की अभिशंषा कर दी गई है।
5.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट–I एवं पार्ट–II किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जो प्रस्तावित है।	उक्त की पूर्ति कर दी गई है।
6.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति पूर्व में ही कर दी गई है।

	विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	
7.	एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी0एफ0 अंकित किया गया है। जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट–I के बिन्दु संलग्न डी.जी.पी.एस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नहीं किये गये है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
9.	यूजर ऐजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	उक्त आक्षेप मे इस कार्यलिय से सम्बन्धित तथ्य की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 4193 दिनांक 13.06.2018 से कर दी गई है।
10.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौड़ाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
11.	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न कॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
12.	यूजर ऐजेन्सी दोनो प्रस्तावो को सम्मिलित कर एक्जाई प्रस्तुत करें एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावें।	इस कार्यलिय से संबंधित नही है।

भवदीय

(अजय चित्तौडा)
उप वन संरक्षक,
करौली

क्रमांक/सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड सिकन्दरा,दौसा।

उप वन संरक्षक,
करौली

FCA
23/3/21
1043
24.3.21
23.3.21

'F:\VBS 14.. sur.doc

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक :– एफ ( )एफसीए / मुवसं / 2020–21 / 1705
निमित्त,

दिनांक : 23/3/2021

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।

विषयः–"Diversion of 0.99 ha. Forest land in favour of Public Work Department, Dausa for construction of missing link road from Udaipura road to Todabheem road .". FP/RJ/ROAD/26222/2017

संदर्भः– आपका ऑनलाईन ई.डी.एस–I दिनांक 07.08.2018 व ई.डी.एस. दिनांक 01.03.2021 एवं उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2020–21 / 1647 दिनांक 17.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस.–I दिनांक 07.08.2018 के क्रम में उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 17.03.2021 से विषयांकित प्रकरण में जारी ई.डी.एस. का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित किया है:–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप पूर्ति
1	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा पार्ट–III में 0.99 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गयी है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वनमण्डल दौसा द्वारा मात्र 0.4896 है. वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गयी है। अतः संशोधित रिपोर्ट पार्ट III में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली व इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2	उप वन संरक्षक, करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा वृक्षों की सूची संलग्न कर दी गयी है।
3	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तित वन भूमि का दुगना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक, दौसा द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गयी है। प्रस्ताव 1 है. से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कॉनर्स अंकित नहीं किये गये है। एवं जी.टी.शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डीजीपीएस मैप, जीटी शीट अपलोड कर दी गयी है।
4	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गयी है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा दीवार निमाण हेतु मांग पत्र संलग्न कर दिया है।
5	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट I एवं पार्ट II के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट I एवं पार्ट II के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

6	यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	वन अधिकार अधिनियमत्र 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर का वन अधिकार प्रमाण पत्र व जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय, ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है।
7	एरिया कैलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी.एफ. अंकित किया गया है जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है। संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित एरिया कैलकुलेशन शीट संलग्न कर दी गयी है।
8	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट I के बिन्दु संलग्न डीजीपीएस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कॉनर्स के अक्षांश व देशान्तर संलग्न नहीं किये गये हैं।	डीजीपीएस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कॉनर्स के अक्षांश व देशान्तर अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।
9	यूजर एजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया है। इस पर उप वन संरक्षक, करौली व दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा पत्रांक 16.06.2020 से अवगत कराया है कि सडक के एक तरफ आबादी क्षेत्र है ए दूसरी तरफ पहाडी का बडा क्षेत्रफल आ जाता है जिस कारण से काई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
10	यूजर एजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौडाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	9 मीटर चौडाई का ले आउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे चैनेज सं. 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न क्रॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है। कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के सम्बन्ध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	मलबा निस्तारण योजना हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित कॉस सेक्शन संलग्न कर दिया गया है।
12	यूजर एजेसी दोनों प्रस्तावों को सम्मिलित कर एकजाई प्रस्तुत करें एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किया जावे।	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

अतः आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 07.08.2018 के कम में आक्षेप पूर्ति की जाकर प्रस्ताव की पॉच हार्ड प्रतियां इस कार्यालय के पत्रांक एफ ( )एफसीए/मुवसभ/2020/23 दिनांक 06.01.2021 के संलग्न आपको प्रेषित की गयी हैं। साथ ही आपके ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 01.03.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता की साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दी गयी है। ऑनलाईन प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ.सी.आर.मीना)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गटका की चौकी, करौली–322241, फोन न. 07464 297003, [illegible])

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए / उवसं / 2020–21 /

निमित्त

दिनांक 17/3/21

मुख्य वन संरक्षक

भरतपुर।

विषयः– Diversion of 0.99 ha. Of forest land in favour Public Work Department, Sikandra Dausa Rajasthan for "Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– आप द्वारा ऑनलाइन जारी EDS दिनांक 10.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक Letter No.F 14 ()2016/FCA/PCCF/CCF EDS-1 Dated 07-08-2018 से उदयपुरा से टोडाभीम बाईपास सडक निर्माण के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे आ रहीं भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में जारी EDS का बिन्दुवार जवाब तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेपों का जवाब
1.	मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट–III में 0.99 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है0 वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट–III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।
2.	उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट–II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है।	उक्त आक्षेप की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से कर दी गई है।
3.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तन वन भूमि का दुगना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गई है। प्रस्ताव 1 है0 से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नहीं किये गये है। एवं जी0टी0शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गई है।	उक्त आक्षेप मे इस कार्यालय से सम्बन्धित तथ्य की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से कर दी गई है।
4.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है। जो उचित प्रतीत नही होता है। अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार सशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	उक्त आक्षेप के कम मे इस कार्यालय के पत्रांक 5449 दिनांक 04.09.2020 से चौकी निर्माण हेतु मांग की गई राशि को संशोधित करते हुए अतिक्रमण रोकने हेतु 2200 र. मी. दीवार की अभिशंषा कर दी गई है।
5.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट–I एवं पार्ट–II किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नही किये गये जो प्रस्तावित है।	उक्त की पूर्ति कर दी गई है।
6.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति पूर्व में ही कर दी गई है।

'F:\VBS 14.. sur.doc

	विवरण संलग्न नही किया गया है।	
7.	एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी0एफ0 अंकित किया गया है। जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट–I के बिन्दु संलग्न डी.जी.पी.एस मैप मे वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नहीं किये गये है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
9.	यूजर ऐजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	उक्त आक्षेप मे इस कार्यालय से सम्बन्धित तथ्य की पूर्ति पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 4193 दिनांक 13.06.2018 से कर दी गई है।
10.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौड़ाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
11.	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न कॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
12.	यूजर–ऐजेन्सी दोनो प्रस्तावो को सम्मिलित कर एक्जाई प्रस्तुत करें एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावें।	इस कार्यालय से संबंधित नही है।

भवदीय

(अजय चित्तौडा)
उप वन संरक्षक,
करौली

दिनांक:– 17/3/21

क्रमांक/सम/ 1648-50
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड सिकन्दरा,दौसा।

उप वन संरक्षक,
करौली

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गढ़का की चौकी, करौली–322241,फोन.न.07464–297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए / उवसं / 2020–21 / 5798 दिनांक 31/8/21
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक

भरतपुर।

विषयः– Diversion of 0.99 ha. Of forest land in favour Public Work Department , Sikandra Dausa Rajasthan for"Construction of missing link road from udaipura to Todabheem Road.

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 3572 दि. 16.07.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपो का बिन्दुवार प्रत्युतर निम्न प्रकार है:–

1. इस वन मंडल द्वारा उक्त प्रकरण 100 पौधो के ही क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की मांग की गई है।
2. इस कार्यालय के पत्रांक 1647 दि. 17.03.2021 से कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक Letter No.F 14 ()2016/FCA/PCCF/CCF EDS-1 Dated 07-08-2018 से उदयपुरा से टोडाभीम बाईपास सड़क निर्माण के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे आ रहीं भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में जारी EDS का बिन्दुवार जवाब तैयार कर भिजवा दिया गया था। प्रति संलग्न है।
3. उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमी का इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है।
4. उक्त प्रस्ताव में डिम्ड फोरेस्ट लेण्ड सम्मिलित नहीं की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुमित बंसल)
उप वन संरक्षक,
करौली

क्रमांक / सम / दिनांक:–

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड सिकन्दरा,दौसा।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर (राज.) 2962 7.9.21

FCA

ACF (B) 07.9.2021

उप वन संरक्षक,
करौली